कार्यालय नगर निगम,उदयपुर (राज.)

आपत्ति आमंत्रण सूचना

क्रमांकः– भ.वि. / 431/20-21 दिनांकः– 05-01-2021

नगर निगम, उदयपुर द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 340 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी "नगर निगम, उदयपुर (नियंत्रित निर्माण क्षेत्र भवन उपविधि) 2013 दिनांक 04.02.2014 के नियम–3 के अनुसार नियंत्रित निर्माण क्षेत्र को भौगोलिक सीमाओं के अनुसार विभिन्न जोन में विभाजित किया गया है, जिसमें जोन–1 के उपजोन–ब के संबंध में वर्तमान प्रावधान इस प्रकार है, **"विद्यमान मास्टर प्लान/प्रारूप मास्टर प्लान/योजना प्लान या राज्य सरकार की विशेष स्वीकृति के अध्याधीन रहते हुए इस क्षेत्र में भूमि रूपान्तरण, नियमन, भू–उपयोग परिवर्तन एवं भवन निर्माण स्वीकृति संबंधित स्थानीय निकाय के प्रस्ताव पर राज्य सरकार की स्वीकृति के उपरांत ही दी जा सकेगी। ऐसे भूखण्डों पर भवन निर्माण स्वीकृति देते वक्त यह सुनिश्चित किया जावेगा कि भूखण्ड पर कुल निर्मित क्षेत्र पर 35 प्रतिशत से अधिक नहीं हो, परंतु राज्य सरकार प्रकरण विशेष में दोष गुण के आधार पर इसे कम भी कर सकेगी।"**

प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 22.12.2020 को आयोजित बैठक में लिए गये निर्णय के क्रम में उक्त उपविधियों के नियम–5(x,xv) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंध एवं प्रावधान में प्रदत्त छुट के संदर्भ में **"जोन–1 के उपजोन–ब में निर्धारित निर्मित क्षेत्र बी.ए.आर. 0.35 को 0.50 तक बेटरमेंट लेवी का भुगतान पश्चात अनुज्ञेय किया जाना प्रस्तावित है।"**

अतः उक्त संशोधन के संबंध में सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस संबंध में कोई आपत्ति/सुझाव हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में लिखित में अथवा ई–मेल (commudr@gmail.com अथवा ceoudr.lsg@rajasthan.gov.in) द्वारा आपत्ति आमंत्रण के प्रकाशन की तिथि से 21 दिवस की अवधि में लिखित में प्रस्तुत करें। बाद अवधि समाप्ति प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(हिम्मत सिंह बारहठ)RAS
आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. जयपुर को सादर सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, श्रीमान् शासन सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर को सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य नगर नियोजक राज. जयुपर को सूचनार्थ।
4. प्रबंध निदेशक, राजस्थान संवाद, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग परिसर, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त आपत्ति का प्रकाशन–
    1. एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र 50 हजार प्रतियों से अधिक परिचालन वाले उदयपुर संस्करण में
    2. एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र जयपुर एवं उदयपुर संसकरण में प्रकाशित करने का श्रम करावें।
5. नगर निगम, उदयपुर की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. सम्पादक, राजस्थान पत्रिका, एवं दैनिक भास्कर, उदयपुर संस्करण को भेज कर लेख है कि उक्त आपत्ति आमंत्रण पत्र का प्रकाशन उदयपुर संस्करण में करवा कर बिल एवं अखबार की प्रति प्रेषित करावें।
7. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर